न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–02 आबूरोड, जिला सिरोही ।

पीठासीन अधिकारी	:	**सुरेश कुमार, आर.जे.एस.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
सेशन प्रकरण सँख्या	:	21/2021(19/2023)
सी.आई.एस.सँख्या	:	27/2021

01– राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक आबूरोड, जिला सिरोही ।

..... **अभियोगी**

बनाम

01– लालाराम पुत्र गलबाराम, उम्र 25 साल, निवासीगण आकोर फली, कुई, पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही।

..... **अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 व 395 भारतीय दण्ड संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 103/2021 आरक्षी केन्द्र आबूरोड रिक्को

उपस्थिति :–
01– श्री दिनेश खण्डेलवाल, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।
02– श्री संजय चौधरी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से ।

निर्णय

दिनाँक :– 12.08.2026

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण</u>

अपराध की तिथि	03.07.2021 व 04.07.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.07.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	05.10.2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	31.05.2022
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	19.01.2023
बहस अंतिम	12.08.2026
निर्णय की तिथि	12.08.2026

नोट– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त लालाराम दिनांक 16.01.2026 से मफरुर था, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2026 को प्रकरण के शेष अभियुक्तगण गुलाराम, चतराराम, गोवाराम, रमेश कुमार व विष्णु उर्फ पोटिया की हद तक निर्णय पारित किया, तत्पश्चात् अभियुक्त लालाराम द्वारा दिनांक 01.08.2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर प्रकरण पुनः पुराने नंबर पर दर्ज रजिस्टर किया एवं अभियुक्त लालाराम की हद तक हस्तगत निर्णय पारित किया जा रहा है ।

01– प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 08.07.2021 को प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि

दिनांक 04.07.2021 को रात को करीब 01.20 बजे दिनांक 03.07.2021 की मध्य रात्री के आस–पास अपनी मोटरसाईकिल से हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप से पट्रोल भरवाकर आ रहा था तब रास्ते में कसनाराम प्रजापत के कुएं के सामने करीब 07 से 08 लोगो ने मुझे रोक लिया, उन सभी के हाथ में कुल्हाडी, चाकु, लाठी–डंडे व धारदार हथियार थे। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना चालु कर दिया और मेरे पास उस समय सोने व चांदी के गहने पहने हुए थे, उन गहनो को उतरवाकर ले लिया, जिनमें सोने की दो मणिया तथा चांदी की माटलिया (चांदी का कडा), हाथ में पहनने की कावली, गले की हांसली, चांदी की टोटी तथा चैन व का ब्रेसलेट तथा दो मोबाईल ले लिए, उस समय मेरे साथ मेरी भांजी सरला पुत्री भीमाराम भी थी। मुझे उसकी जान–माल की चिंता होने के कारण मैं उनका विरोध भी नहीं कर सका, उस दिन मेरे परिवार में वैवाहिक कार्यकम था और इस कारण मैं मेरी उक्त भांजी को लेने के लिए गया हुआ था। अतः मुलजिमानों के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करावे..... इत्यादि ।

02– उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र आबूरोड रिक्को द्वारा एफआईआर सँख्या 103/2021 जुर्म धारा 341, 323 व 392 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण गुलाराम पुत्र पूनाराम, चतराराम पुत्र वेलाराम, लालाराम पुत्र गलबाराम, गोवाराम पुत्र गलबाराम, रमेश कुमार पुत्र हीराजी के विरूद्ध धारा 341, 323 392 व 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित माना एवं अभियुक्त विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदाराम के विरूद्ध धारा 173(8) जा.फौ. में अनुसंधान जारी रखा तत्पश्चात अभियुक्त विष्णु उर्फ पोटिया पुत्र बदाराम के विरुद्ध तितम्बा आरोपपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 आबूरोड को कमीट होकर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरोही के आदेश क्रमांक 154 दिनांक 26.06.2023 को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 आबूरोड से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।

03– बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त लालाराम पुत्र गलबाराम के विरूद्ध धारा 341, 323/34 व 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पृथक से विरचित किये जाकर आरोप अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार करते हुए अन्वीक्षा चाही ।

04– अन्वीक्षा में अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित साक्षीगण एवं दस्तावेजात को परीक्षित करवाया :–

मौखिक साक्षीगण :–

क्रम सँख्या	**गवाह सँख्या**	**गवाह का नाम**
1	पी.ड.1	अरविंद सिंह
2	पी.ड.2	मनराराम
3	पी.ड.3	झूमाराम
4	पी.ड.4	गुप्ताराम
5	पी.ड.5	मुकेश कुमार
6	पी.ड.6	शांतिलाल
7	पी.ड.7	सकाराम
8	पी.ड.8	दिनेश कुमार
9	पी.ड.9	बाबुराम

दस्तावेजी साक्ष्य :–

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेज का नाम**	**प्रदर्श क्रमांक**	**दस्तावेज का नाम**
प्रदर्श पी.1	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका	प्रदर्श पी.2	फर्द मौका तस्दीक लालाराम
प्रदर्श पी.3 लगायत पी.6	फर्द बरामदगी	प्रदर्श पी.7 लगायत पी.10	फर्द बरामदगीस्थल नक्शामौका
प्रदर्श पी.11 लगायत पी.13 व पी.14 लगायत 15	फर्द जब्ती एवं फर्द बरामदगीस्थल कानों में पहनने के गोखरू, मोबाईल व मोटरसाईकिल	प्रदर्श पी.16 व 17	फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त गोवा व विष्णु
प्रदर्श पी.18	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल	प्रदर्श पी.19 व 20	फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त गुलाराम व चतराराम
प्रदर्श पी.21	घटना की तहरीर	प्रदर्श पी.22	मेडिकल नहीं करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र
प्रदर्श पी.23 लगायत पी.28 व पी.23 ए लगायत 28 ए	फर्द शिनाख्त अभियुक्तगण एवं प्रमाणित प्रतियां	प्रदर्श पी.30 लगायत पी. 32 एवं पी.37 लगायत 39	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण
प्रदर्श पी.33 लगायत 35 व पी.40 व 41	फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभियुक्तगण		

05– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्त को परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना नहीं चाहा ।

06– बहस अन्तिम सुनी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस रही कि अभियुक्त लालाराम निर्दोष है। उसके द्वारा न तो परिवादी के साथ कोई मारपीट की और न ही कोई लूट कारित की। घटना रात्रि को लगभग 01.30 बजे की बतलाई गई है व अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करवाई गई। घटना के पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार कर इस प्रकरण में आलिप्त किया। अभियुक्त से बताई गई बरामदगी पूर्णतः संदिग्ध है। स्वयं परिवादी ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है। घटना की चक्षुदर्शी साक्षी सरला को परीक्षित नहीं करवाया गया। अन्य साक्षीगण पक्षद्रोही रहे हैं। प्रकरण के सहअभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दोषमुक्त घोषित किया है, अतः अभियुक्त को भी दोषमुक्त किया जावे।

07– विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस रही है कि अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ एकराय होकर रात्रि के समय परिवादी को रोककर लूट कारित की है। अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

08– हमने विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

"01– क्या दिनांक 03.07.221 व 04.07.2021 की मध्य रात्रि के लगभग 01.30 बजे मौजा भैसासिंह जाने वाले आम रास्ते पर अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी मुकेश व उसकी भांजी सरला को साशय रोककर कुंदाले से मारपीट की व मुकेश को मारपीट का भय

दिखाकर सोने की दो मणिया, चांदी की माटलिया, हाथ में पहनने की कावली, गले की हांसली, चांदी की टोटी, एक चैन व हाथ का ब्रेसलेट तथा दो मोबाईल लूट लिए ?

"02– क्या अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित कर दिया है ? यदि हाँ, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा ?

09– उपरोक्त बिंदु के संदर्भ में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने के अनुक्रम में अभियोजन ने कुल 09 गवाह परीक्षित करवाए व कुल 41 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर पेश की गई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो हस्तगत प्रकरण आधारशिला लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 21 में परिवादी मुकेश कुमार ने कथन किया है कि 04.07.2021 को रात्रि 01.30 बजे के लगभग वह अपनी मोटरसाईकिल से पट्रोल भरवाकर आ रहा था। रास्ते में कसनाराम प्रजापत के कुंए के पास 7–8 लोगों ने उसे रोका, जिनके हाथ में कुल्हाडी, चाकु, लाडी–डंडे व हथियार थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके पहने हुए सोने–चांदी के गहनों व मोबाईल छीन लिए। उस समय उसके साथ उसकी भांजी सरला भी थी। जान–माल का भय होने से उसने विरोध नहीं किया। इस प्रकार परिवादी ने अज्ञात 7–8 लोगों के द्वारा मारपीट व लूट कारित किया जाना कथन किया है।

10– अभियोजन ने नक्शामौका के साक्षी अरविंद सिंह को बतौर पी.ड.01 परीक्षित करवाया, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 09.07.2021 दोपहर 12.30 बजे पुलिस वालें मौके पर आए व मुआयना कर नक्शामौका व हालातमौका प्रदर्श पी 01 बनाया तथा उसके हस्ताक्षर करवाए। उस समय मुकेश और मनराराम भी मौजुद थे। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मौके पर कोई आलामात नजर नहीं आ रहे थे। नक्शामौका व बरामदगी का साक्षी मनराराम बतौर पी.ड.02 परीक्षित हुआ, जिसका मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन रहा है कि 09.07.2021 को पुलिस वाले अमरनाथ होटल के आगे मौके पर आए। इसके अलावा अरविंद व मुकेश भी थे। पुलिस ने घटनास्थल की लिखापढी की, नक्शामौका व हालातमौका प्रदर्श 01 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 14.07.2021 को अभियुक्त लाला ने मौका दिखाया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 02 है। पुलिस ने लालाराम के घर से दो चैन व एक कडा व एक मोबाईल बरामद किया था व फर्द प्रदर्श 06 बनाई तथा बरामदगीस्थल के नक्शा की फर्द 10 की।

11– आगे साक्षी को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित करवाकर प्रतिपरीक्षण किया, जिसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस ने हंसली लालाराम से बरामद की थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि वह अभियुक्त के गांव का नहीं है। पुलिसवालों ने थाने पर बुलाकर उपरोक्त जेवरात उससे बरामद करवाए थे और सारी फर्दें थाने पर तैयार की थी।

12– पी.ड.03 झूमाराम पक्षद्रोही रहा और कथन किया है कि मुकेश के साथ 4–5 साल पहले लूट हुई थी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित करवाकर प्रतिपरीक्षण किया, जिसमें उक्त साक्षी ने अभियुक्त लालाराम की हद तक कोई साक्ष्य नहीं दी। बचाव पक्ष की जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि उसे थाने में बुलाकर पुलिस ने मुकेश के साथ लूटमार होने की बात बताई थी और पुलिस ने कहां कि लूटमार की कार्यवाही कर रहे हैं, जिस पर उसने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। पी.ड.04 गुप्ताराम भी पक्षद्रोही रहा और कथन किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है, न ही पुलिस ने उसके सामने कोई बरामदगी की। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से

जिरह की गई, तो उसने अभियोजन के इन सुझावों को गलत बताया कि पुलिस ने उसके सामने लालाराम से कोई बरामदगी की गई हो, परंतु फर्द प्रदर्श 06 व 10 में अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। आगे उक्त साक्षी ने अभियुक्त लालाराम ने उसके सामने घटनास्थल का मौका तस्दीक करवाया हो, गलत बताया है, परंतु फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श 02 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है।

13– परिवादी मुकेश कुमार बतौर पी.ड.05 परीक्षित हुआ, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान के करीब 03 साल पहले की बात है, वह अपने घर से रात 01.00 बजे मोटरसाईकिल में डीजल भरवाने जा रहा था। रास्ते में कसनाराम के कुंए के पास 7–8 लोगों ने उसे रोका, मारपीट की व सोने–चांदी के जेवरात, दो मोबाईल व मोटरसाईकिल लूट कर ले गए। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श 21 थाने पर दी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श 01 बनाया, जिस पर क्रमशः ए से बी व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसे कोई जाहिरा चोट नहीं होने के कारण उसने मेडिकल नहीं करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रदर्श 22 दिया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे आबूरोड कोर्ट में बुलाकर अभियुक्त की पहचान करवाई, जिस पर उसने लालाराम की पहचान की। आगे साक्षी फर्द शिनाख्तगी लालाराम प्रदर्श 27 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना कथन करता है। पी.ड.08 दिनेश कुमार ने प्रकरण में अनुसंधान संबंधी साक्ष्य दी।

14– अभियोजन द्वारा अभिलेख पर पेश की गई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण करे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 21 के अनुसार घटना रात को 01.30 बजे की बताई गई है और घटनास्थल पर 7–8 अज्ञात लोगों द्वारा आकर परिवादी के साथ मारपीट कर सोने–चांदी के जेवरात, दो मोबाईल व मोटरसाईकिल की लूट कारित किया जाना कथन किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के साथ उसकी भांजी सरला भी थी। इस प्रकार प्रकरण में घटना की एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी सरला थी, परंतु अभियोजन की ओर से सरला को परीक्षित नहीं करवाया गया और न ही उसको परीक्षित नहीं करवाने का कोई स्पष्टीकरण दिया गया। परिवादी मुकेश, जो घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी व पीडित रहा है, बतौर पी.ड.05 मुख्य परीक्षण में 7–8 अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर लूट कारित किया जाना कथन करता है, वहीं बचाव पक्ष के जिरह में स्वीकार करता है कि **रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 पुलिस वालें टाईप करवाकर लाए थे। मैंने मात्र उस पर हस्ताक्षर किए थे। यह बात सही है कि घटना रात्र के एक बजे घोर अंधेरे में हुई। यह बात सही है कि रिपोर्ट में मेरे साथ मारपीट करने वाले अभियुक्तगण की कद–काठी, उम्र, पहचान व हुलिये का विवरण नहीं दिया है, क्योंकि मैं किसी अभियुक्त का चेहरा नहीं देख पाया। मेरे साथ रात्रि में वारदात करने वाले व्यक्तियों को नहीं पहचान सकता। हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर कहा कि उक्त लोगों ने मेरे साथ कोई वारदात नहीं की।** आगे उक्त साक्षी इस बात को सही बताता है कि **मुझे शिनाख्तगी की कार्यवाही करने से पूर्व पुलिसवालों ने सभी अभियुक्तगण को बताकर कहा था कि इन व्यक्तियों को पहचानना है। अंत में इस बात को सही बताया कि उसे आज तक नहीं पता कि उसके व उसकी भांजी सरला के साथ वारदात किसने की।** इस प्रकार उक्त साक्षी न केवल लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 के निष्पादन से इंकार करता है, बल्कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण को पहचानने से भी इंकार किया है। इस प्रकार उपरोक्त अभियुक्त ने परिवादी को रोककर मारपीट कर लूट कारित की हो, यह तथ्य पूर्णतः संदेहपूर्ण है।

15– घटनास्थल के नक्शामौका प्रदर्श पी 01 का साक्षी पी.ड.01 बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार करता है कि घटनास्थल पर कोई आलामात नहीं थे, वहीं बरामदगी का साक्षी पी.ड.02 मनराराम बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि पुलिस ने उसे थाने पर बुलाकर कहा था कि यह जेवरात अभियुक्तगण से बरामद किए है और पुलिस ने सारी फर्दात पर थाने पर ही उसके हस्ताक्षर करवाए थे। इस

प्रकार तथाकथित बरामदगियां उपरोक्त अभियुक्त लालाराम की स्वेच्छया इत्तिला पर की गई हो, यह तथ्य भी संदेहपूर्ण है। पी.ड.03 झूमाराम भी बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार करता है कि पुलिस ने थाने पर बुलाकर उसे लूट होने की बात बताई थी और थाने पर ही उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। पी.ड.04 गुप्ताराम भी फर्द बरामदगी के तथ्यों से इंकार करता है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता दिनेश कुमार प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि परिवादी के कोई चोट कारित नहीं हुई, न ही उसका मेडिकल करवाया। प्रकरण में जब्तशुदा जेवरात, मोबाईल आदि की शिनाख्तगी परिवादी से नहीं करवाई। अभियुक्त लालाराम के कलाई पर लाला नाम लिखा हुआ था। उक्त शिनाख्तगी के समय अभियुक्त के उपरोक्त नाम पर कोई टैप नहीं छिपकाई गई। इस प्रकार अभियुक्त लालाराम ने परिवादी मुकेश को रोककर मारपीट की हो, इस बाबत् न तो मुकेश के जाहिरा चोटें थी और न ही उसके द्वारा कोई मेडिकल करवाया गया। उपरोक्त अभियुक्त की शिनाख्तगी कार्यवाही पूर्णतः संदिग्ध है। परिवादी मुकेश ने उपरोक्त अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है। चक्षुदर्शी साक्षी सरला अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं हुई। तथाकथित बरामदगी के साक्षीगण संपूर्ण बरामदगी थाने पर ही किया जाना और थाने पर ही फर्दों पर हस्ताक्षर करवाया जाना कथन करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अभियुक्त लालाराम ने परिवादी को घटना के रोज रोककर मारपीट कर लूट कारित की हो, यह तथ्य पूर्णतः संदेहपूर्ण है। उक्त संदेहपूर्ण साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी कायम नहीं की जा सकती।

16– **निष्कर्षतः** अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्त लालाराम के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त लालाराम पुत्र गलबाराम संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्ति का अधिकारी है।

आदेश

17– परिणामतः अभियुक्त लालाराम पुत्र गलबाराम, उम्र 25 साल, निवासीगण आकोर फली, कुई, पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 व 395 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है । अभियुक्त के अन्वीक्षार्थ लिये गये जमानत मुचलके एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

18– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन दोनों मोटरसाईकिल सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगी पर दिए हुए हैं। उक्त सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन निरस्त समझे जावे।

19– प्रकरण में जब्तशुदा अन्य वजहसबूत बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार उसके वास्तविक स्वामी को लौटा दिए जावे।

(सुरेश कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सँख्या–02
आबूरोड, जिला सिरोही

20– निर्णय एवं आदेश आज दिनाँक 12.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

(सुरेश कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सँख्या–02
आबूरोड, जिला सिरोही

HITESH KUMAR VAISHNAV
Digitally signed by HITESH KUMAR VAISHNAV
Date: 2026.08.13 10:04:05 +0530